उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3

संख्या-20/2019/सा-3-292/दस-2019-301/2000 टी0सी0

लखनऊः दिनाँक : 08 मई, 2019

कार्यालय-ज्ञाप

विषयः अपुनरीक्षित वेतनमानों में पेंशन/पारिवारिक पेंशन/ अनन्तिम पेंशन की धनराशि पर महँगाई राहत की स्वीकृति।

पंचम वेतन आयोग के वेतनमानों में पेंशन/पारिवारिक पेंशन/ अनन्तिम पेंशन आहरित कर रहे पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को कार्यालय- ज्ञाप संख्या-25/ 2018/ सा-3-938/दस-2018-301/2000 टी0सी0 दिनाँक 14 नवम्बर, 2018 द्वारा दिनाँक 01 जुलाई, 2018 से 284 प्रतिशत की दर से महँगाई राहत स्वीकृत की गयी थी।

2- श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश सरकार के ऐसे पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को दिनाँक 01 जनवरी, 2019 से 295 प्रतिशत मासिक की दर से महँगाई राहत अनुमन्य किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, जो पंचम वेतन आयोग के वेतनमानों में पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं।

3- ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों, जिन्हें अपुनरीक्षित अन्तिम पेंशन मिल रही है, को को उपरोक्तानुसार उल्लिखित दरों पर महँगाई राहत अनुमन्य होगी।

4- चूँकि अनन्तिम पेंशन एवं उस पर महँगाई राहत का भुगतान अधिष्ठान बिलों पर आहरित करके किया जाता है, इसलिये यह प्रशासकीय विभागों का दायित्व होगा कि वे कि वे उपरोक्त प्रस्तर-2 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार अनन्तिम पेंशन की धनराशि धनराशि पर महँगाई राहत की गणना करके भुगतान करेंगे।

5- उपरोक्त श्रेणी के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों तथा अनन्तिम पेंशन प्राप्त सेवानिवृत्त कर्मचारियोंको तद्नुसार महँगाई राहत का भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।

संजीव मित्तल

अपर मुख्य सचिव।

-2-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्याः20/2019/सा-3-292(1)/ दस-2019, तददिनाँक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय एवं ऑडिट 1 व 2 उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- शासन के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3- समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
4- निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5- निदेशक, पेंशन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6- समस्त अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, उत्तर प्रदेश।
7- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8- समस्त पेंशनर संघ उत्तर प्रदेश।
9- प्रमुश सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
10- प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
11- महालेखाकार कार्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

आज्ञा से,
नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।